राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

Sr. No. / 303 /SAPSMP/2016, Bhopal Date: 25/06/2016

प्रति,

जिला कलेक्टर
समस्त जिला
मध्य प्रदेश।

विषय :- लोक सेवा केंद्र एवं एम्. पी. ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एवं नवीन पेमेंट गेटवे के क्रियान्वयन विषयक ।

--00--

प्रदेश के नागरिकों को शासन से सबंधित सेवाएँ समय सीमाँ में सरलतापूर्वक आसानी से प्राप्त हो यह द्रष्टिगत रखते हुए शासन की नवीन नीति अनुसार लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं एम.पी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से एवं एम.पी ऑनलाइन की सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान किया गया है | जिसके अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के सॉफ्टवेयर (mpedistrict, पोर्टल) एवं एम् पी ऑनलाइन किओस्क के पोर्टल के इंटीग्रेशन एवं नवीन पेमेंट गेटवे के अंतर्गत दोनों पोर्टल के सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कराए गए है | इन परिवर्तनों के साथ नई व्यवस्था को सर्वप्रथम देवास जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया गया, जिसके आधार पर अब इस व्यवस्था (योजना) का प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 01 जुलाई 2016 से क्रियान्वयन किया जाना है| इस नवीन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किये गए है -

A. क्षेत्राधिकार एवं सेवा प्रदाय प्रक्रिया सबंधी -

1. एम.पी. ऑनलाइन किओस्क ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (लोक सेवा केन्द्रों) की सेवाओं के लिए अपने जिले में क्षेत्राधिकार से मुक्त रहेंगे |
2. लोक सेवा केंद्र भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल/सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने उपरांत अपने जिले में क्षेत्राधिकार से मुक्त रहेंगे ।
3. पदाभिहित अधिकारी को हार्डकॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं होगी|
4. जिन सेवाओं के लिए हार्ड कॉपी मूवमेंट की विभागीय नियमानुसार आवश्यकता होती है, इस प्रकार की सेवाओं को वर्तमान में एम.पी. ऑनलाइन किओस्क से प्रदाय नहीं किया जायेगा | (सेवाओं की सूची संलग्न परिशिष्ट -1)

कार्यालय : सुशासन भवन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान परिसर, द्वितीय तल, भदभदा रोड, टी.टी. नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2775227, 2770915, 2770926, e-mail : loksevamp@gmail.com

5. यदि पदाभिहित अधिकारी अपने रिकॉर्ड के लिए हार्डकॉपी रखना आवश्यक समझते हैं, तो वह अपने पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों के प्रिंटआउट लेकर रिकॉर्ड में रख सकेंगे | जिसके लिए पदाभिहित अधिकारी कार्यालय को स्टेशनरी आदि हेतु आवश्यक राशि DeGS द्वारा प्रदान की जाएगी।
6. जिले के समस्त एम.पी ऑनलाइन किओस्क संचालकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर बनवाये जायेंगे, ताकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित चयनित सेवाओ के आवेदन नियमानुसार डिजिटल हस्ताक्षरित पदाभिहित अधिकारी की ओर प्रेषित किये जा सकें एवं आवेदक को सेवा का प्रिंटआउट भी डिजिटली हस्ताक्षरित प्रदाय किया जा सके |
7. एम्.पी. ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सील आदि का उपयोग लोक सेवा केन्द्रों के अनुसार होना चाहिए।
8. एम्.पी. ऑनलाइन किओस्क से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाय प्रक्रिया हेतु निगरानी एवं नियंत्रण सबंधी शर्ते लोक सेवा केन्द्रों के लिए निर्धारित किये गए अनुबंध की नियम शर्तों अनुसार ही होंगी ।

B. नवीन पेमेंट गेटवे एवं फीस सबंधी -

1. इंटीग्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत अब लोक सेवा केन्द्रों द्वारा दी जा रही समस्त सेवाओ के लिए पेमेंट गेटवे एम् पी ऑनलाइन का होगा |
2. एम् पी ऑनलाइन द्वारा तैयार नवीन पेमेंट गेटवे के क्रियान्वयन दिनांक की स्थिति में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लोक सेवा केंद्र की रिचार्ज की गयी शेष राशि को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा सबंधित लोक सेवा केंद्र संचालक को वापस कर दी जाएगी।
3. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लोक सेवा केंद्र रिचार्ज (टॉप-अप) सुविधा तत्पश्चात समाप्त हो जाएगी ।
4. समस्त लोक सेवा केंद्र संचालकों को एम.पी ऑनलाइन वालेट में कम से कम रु. 1000/- की राशि का रिचार्ज कराना आवश्यक होगा |
5. जिला लोक सेवा प्रबंधक द्वारा जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के बैंक अकाउंट की जानकारी एम.पी ऑनलाइन को उपलब्ध कराई जाएगी |
6. लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत चयनित सेवाओं के लिए प्रोसेस फीस रु. 25/- एवं ई गवर्नेंस सोसाइटी का शुल्क रु. 5/- कुल रु. 30/- लिया जायेगा, सेवाओं की प्रशासनिक/लीगल/अन्य फीस विभागीय नियमानुसार अतिरिक्त होगी |

7. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (LSG) सेवाओं की प्रशासनिक/लीगल/अन्य फीस एवं ई-गवर्नेंस सोसाइटी को देय राशि का भुगतान सम्बंधित विभाग के हेड में एवं सोसाइटी के खाते में T+1 समयावधि में एम.पी ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा |
8. एम.पी ऑनलाइन के अंतर्गत चयनित सेवाओं के लिए एम.पी ऑनलाइन में निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लिया जायेगा तथा इन आवेदन पत्रों को व्ही.जी.एफ की गणना में भी लिया जायेगा |

C <u>प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार सबंधी -</u>

1. जिले के समस्त लोक सेवा केंद्र एवं एम.पी ऑनलाइन किओस्क संचालकों को जिला स्तर पर आवश्यक ट्रेनिंग जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं एम्.पी. ऑनलाइन को-ओर्डीनेटर द्वारा प्रदाय की जाएगी |
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला लोक सेवा प्रबंधक द्वारा सबंधित जिले के आर.सी.बी.सी सेंटर में इस माह (जून-16) में ही प्रदाय किया जाये |
3. जिन जिलों में आर.सी.बी.सी सेंटर तैयार नहीं है, वहाँ जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय आदि का प्रबंध कराया जायेगा ।
4. एम्.पी. ऑनलाइन किओस्क संचालक को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय प्रक्रिया के सबंध में विशेष ट्रेनिंग जिला लोक सेवा प्रबन्धक द्वारा प्रदान की जाये।
5. जिला स्तर पर इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार (ब्रांडिंग) आदि के व्यय की व्यवस्था जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से करायी जाये, साथ ही योजना एवं फीस सबंधी जानकारी के ब्रोशर, पेम्फलेट्स इत्यादि प्रिंट कर लोक सेवा केंद्र एवं एम्.पी. ऑनलाइन किओस्क पर नागरिकों की सुविधा हेतु रखे जाएँ।

कृपया जिले के सबंधित अधिकारियों को उपरोक्त सबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। नवीन पेमेंट गेटवे के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों की सेवाएँ एम्.पी. ऑनलाइन किओस्क से प्रदान करने तथा एम्.पी. ऑनलाइन की सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रों से प्रदान करने पर सेवा शुल्क, शुल्क अनुपात तथा समायोजन किस प्रकार किया जायेगा इससे सबंधित विस्तृत निर्देश प्रथक से जारी किये जायेंगे ।

(हरिरंजन राव)
सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं
<u>महानिदेशक,राज्य लोक सेवा अभिकरण</u>

कार्यालय : सुशासन भवन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान परिसर,
द्वितीय तल, भदभदा रोड, टी.टी. नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2775227, 2770915, 2770926, e-mail : loksevamp@gmail.com

राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)
(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)
State Agency for Public Service, M.P.
(A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

Sr. No. / 304/SAPSMP/2016, Bhopal Date: 25/06/16

प्रतिलिपि:-

1. श्री कमलेश जोशी, तकनीकी निदेशक, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संचालक, एम.पी ऑनलाइन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. श्री रमीज खान, एम.पी. ऑनलाइन एवं संबंधित को-ऑर्डिनेटर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम. सेलवेन्द्रन)
कार्यपालन संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण

letter head GC

कार्यालय : सुशासन भवन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान परिसर,
द्वितीय तल, भदभदा रोड, टी.टी. नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2775227, 2770915, 2770926, e-mail : loksevamp@gmail.com

परिशिष्ट -1

Sr.No.	Department	Service	Total No. of Enlcousers	Total Enclousers which requires Physical Movement & not Uploaded by LSK	Enclousers
1	गृह	11.5 शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना ।	5	2	पासपोर्ट साईज के 02 नवीनतम फोटो (जिस पर आवेदक का नाम तथा पता अंकित हो)।
					लायसेंस गुम/चोरी होने की दशा में संबंधित पुलिस थाने में दी गई सूचना रिपोर्ट की प्रति अथवा जीर्ण लायसेंस की दशा में उसकी मूल प्रति (मूल प्रति पदाभिहित अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाएगी)
2	श्रम	(2.4) निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	3	1	दो पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
3	श्रम	(2.6) दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन (अधिनियम - 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत)	8	1	आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
4	श्रम	(2.7) दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन का नवीनीकरण (अधिनियम - 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत)	8	1	आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ।
5	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(12.1) राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रूपये 2 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना ।	3	1	हाल ही के पासपोर्ट साईज़ के 2 रंगीन फोटोग्राफ ।
6	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(12.2) विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना	3	1	हाल ही के पासपोर्ट आकार के दो फोटो ।
7	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(12.3) दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना	2	1	परिवार के मुखिया का फोटो ।
8	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(12.5) आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन के संबंध में।	2	1	हाल ही के पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटोग्राफ।
9	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(12.6) मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण का स्वीकृत किया जाना ।	4	1	हाल ही के पासपोर्ट साईज़ के 2 रंगीन फोटोग्राफ ।
10	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	(18.7) विवाह का पंजीयन	5	1	वर और वधु के पासपोर्ट आकार के दो-दो छायाचित्र ।
11	सामाजिक न्याय	(7.1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय	3	1	आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ ।
12	सामाजिक न्याय	(7.2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	3	1	आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ ।
13	सामाजिक न्याय	(7.3) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	4	1	आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ ।
14	सामाजिक न्याय	(7.4) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	4	1	आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ ।
15	सामाजिक न्याय	(7.5) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	4	1	आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ ।
16	सामाजिक न्याय	(7.6) मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	6	1	दम्पति युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल दम्पति की दशा में एकल फोटो ।
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	(9.1) नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करना	4	1	तीन पासपोर्ट साईज फोटो ।
18	राजस्व	(4.14-A) अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदन पत्र (पंजीयत विलेख/अंतरण पत्र की दशा में)	6	2	विक्रेताग/विक्रेतागण के डाक के पूरे पते का विवरण एवं डाक टिकिट लगे लिफाफे ।
					विक्रेता/विक्रेतागण/सहखातेदार को सूचना भेजने के लिए तलवाना (2 रु. प्रति व्यक्ति)।
19	श्रम	(2.2) विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	6	2	वर का फोटो ।
					वधु का फोटो ।